राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 6191/2022

कपिल देव शर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. अतिरिक्त निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं और अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) विभाग तथा पंचायती राज (चिकित्सा) विभाग, निदेशालय, जयपुर।
3. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, जिला अस्पताल, हिण्डौन सिटी, जिला करौली (राज.)।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 01.12.2022
आदेश की दिनांक : 16.12.2022

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री विनोद कुमार शर्मा, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में प्रयोगशाला सहायक के पद पर राजकीय जिला चिकित्सालय, हिण्डौन सिटी, जिला करौली में कार्यरत है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 02.11.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिनोरी, जिला दौसा किया गया है। उनका कथन है कि बिना किसी शिकायत के अपीलार्थी का स्थानान्तरण प्रशासनिक अत्यावश्यकता के आधार पर किया गया है जबकि अपीलार्थी के स्थान पर किसी को भी पदस्थापित नहीं किया गया। जिला चिकित्सालय, हिण्डौन सिटी, करौली में प्रयोगशाला सहायक के 7 पद रिक्त हैं, फिर भी अपीलार्थी का स्थानान्तरण कर दिया गया है। अपीलार्थी की पत्नी भी राजकीय सेवा में कार्यरत है। उसका एक पुत्र है जो तीन वर्ष का है, जिसकी देखभाल अपीलार्थी द्वारा की जाती है। पति–पत्नी दोनों राजकीय सेवा में

कार्यरत होने के पश्चात् भी अपीलार्थी का स्थानान्तरण जिला करौली से जिला दौसा कर दिया गया है जबकि राज्य सरकार की स्थानान्तरण नीति के अनुसार यदि पति–पत्नी दोनो राजकीय सेवा में कार्यरत हों तो उनका स्थानान्तरण/पदस्थापन एक ही स्थान अथवा निकटस्थ स्थान पर किया जाना चाहिए। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डॉ. देवेश गुप्ता बनाम राज्य में पारित आदेश की ओर अधिकरण का ध्यान आकर्षित किया, जिसमें ऐसे स्थानान्तरण आदेशों को अयुक्तियुक्त बताया है। आलोच्य आदेश अनुलग्नक–1 राजस्थान पंचायती राज (अंतरित क्रियाकलाप), 2011 के नियम 8(iii) के विपरीत जारी किया गया है।

अतः उक्त आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जावे तथा आलोच्य आदेश दिनांक 02.11.2022 (अनुलग्नक–1) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश फरमाए जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन प्रयोगशाला सहायक के पद पर राजकीय जिला चिकित्सालय, हिण्डौन सिटी, जिला करौली में कार्यरत है। प्रशासनिक आवश्यकताओं में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532**) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer*

orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."

अपीलार्थी ने अपनी अपील में स्थानान्तरण से होने वाली पारिवारिक परेशानियों का उल्लेख किया है, परन्तु हमारे मत में स्थानान्तरण के परिणामस्वरूप होने वाली इस तरह की कठिनाइयों के आधार पर स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **मध्य प्रदेश राज्य बनाम एस.एस.कौरव ((1995) 3 एस.सी.सी. 270)** के निर्णय में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :–

"This court cannot go into the question of relative hardship. It would be for the administration to consider the facts of a given case and mitigate the real hardship in the interest of good and efficient administration. If there is any such hardship, it would be open to the respondent to make a representation to the Government and it is for the Government to consider and take appropriate decision in that behalf."

जहां तक आलोच्य आदेश अनुलग्नक–1 नियम 8(iii) के विपरीत जारी किए जाने का प्रश्न है। हमारे विनम्र मत में आलोच्य आदेश अनुलग्नक–1 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण जिला चिकित्सालय, हिण्डौन सिटी, करौली से स्थानान्तरण किया गया है, जो उक्त नियमों के अंतर्गत नहीं आता है। अतः अपीलार्थी के इस तर्क में हम कोई बल होना नहीं पाते हैं।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)